न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 75/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		कंवरलाल व्यास पुत्र भंवरलाल निवासी जालम जी मोहल्ला जालौरी गेट जोधपुर फर्मः व्यास की कैन्टीन, कचहरी परिसर जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कैलाश कुमार प्रजापत उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 28.07.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी कंवरलाल व्यास पुत्र भंवरलाल निवासी जालम जी का मोहल्ला जालौरी गेट जोधपुर, फर्म व्यास की कैन्टीन, कचहरी परिसर जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2024 को जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा कचहरी परिसर स्थित प्रतिष्ठान व्यास की कैंटीन कचहरी परिसर जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक व अपना नाम कंवरलाल व्यास पुत्र भंवरलाल बताया एवं प्रतिष्ठान पर मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (इण्डेन) भण्डारित कर व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

किया जाना पाया गया। मौके पर अवैध भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	आई.ओ.सी.एल	0006807T	15.7 कि.ग्रा.	17.8 कि.ग्रा.	2.1 कि.ग्रा.
2.	आई.ओ.सी.एल	070021 T	15.6 कि.ग्रा.	21.5 कि.ग्रा.	5.9 कि.ग्रा.

उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री हडमानराम पुत्र श्री मल्लाराम जाति विश्नोई प्रतिनिधी मारवाड गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री मान्चेन्द्र प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच कुल 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से भण्डारित कर व्यवसायिक गतिविधियों उपयोग में लिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को प्रकरण में इस कार्यालय से जारी नोटिस क्रमांक 148 दिनांक 30.04.2025 बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कैलाश कुमार प्रजापत द्वारा वकालतनामा पेश कर लिखित जवाब दिनांक 13.06.2025 को पेश कर जब्तसूदा 02 घरेलु सिलेण्डर को रिलीज किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थी का रहवासीय मकान रूणेचा धाम भाकरासनी जोधपुर में स्थित है, जंहा आस–पास आबादी कम होने के कारण चोरी की अत्यधिक घटनाएं हो रही है इसलिए अप्रार्थी द्वारा सूरक्षा की दृष्टि से उक्त रहवासीय मकान से अपने दोनों घरेलु गैस सिलेण्डर कुछ घण्टों के लिए अस्थाई रूप से अपने फर्म पर लाकर रखे गये ताकि सांयकाल में जालोरी गेट जालप मोहल्ला स्थित किराए के मकान पर ले जा सके। अधिवक्ता द्वारा बतलाया गया कि उक्त 01 सिलेण्डर पूर्णतया रिक्त

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

था तथा एक में अल्प मात्रा में गैस संग्रहित थी। अप्रार्थी द्वारा उक्त फर्म पर चाय बनाने हेतु व्यवसायिक सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डर त्रुटिपुर्वक एंव सद्भाविक भुल के चलते अस्थाई रूप से कुछ घण्टों के लिये अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर रखा जाना बताते हुए जब्तसूदा सिलेण्डर रिलीज कर अप्रार्थी को लौटाये जाने का निवेदन किया गया।

"निष्कर्ष"

हमने विभागीय पैरोकार तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जाहिर तथ्यों पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द का अवलोकन किया । जिस अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (इण्डेन) अवैध रूप से भण्डारित किए पाए गए। मौका फर्द अनुसार जब्तसुदा सिलेण्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई जब्तसूदा सिलेण्डर ना तो पूर्णतया खाली थे और ना ही पूर्ण भरे हुए, जिससे प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट होता है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर चाय बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग किया गया है, जो कि प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम मय निरीक्षक टीम द्वारा हस्ताक्षरित जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेखित है। उक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्यों में उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (इण्डेन) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (इण्डेन) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित R.A.S)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर